



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275434
CG-DL-E-13082026-275434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4292]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4292]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

का.आ. 4470(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 874 (अ), दिनांक 05 मार्च, 2014, के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 930 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सौंप दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 और इसके पश्चात् अब तक हुए संशोधनों (जो इसमें आगे 'नियमावली' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 930 के डिजाइन किमी 67.880 से किमी 114.860 (मौजूदा किमी 67.880 से किमी 114.860) तक शेरपार-कोहका खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 46.84 किमी के निवल सड़क खंड [तालिका 2] और 1.40 किमी (0.140 किमी की लंबाई वाली, [तालिका 3]) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में

विनिर्दिष्ट दर के 60% पर शुल्क उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क का आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत की जाने वाली शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी जिले में कोहका गांव के निकट एनएच-930 के किमी 113.500 पर	46.84 [(> 60 मीटर) संरचना को छोड़कर]	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी जिले में कोहका गांव के निकट एनएच-930 के किमी 113.500 पर	0.140 [^]	1.40	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए आधार दरों का 60%

^ संरचनाओं (> 60 मीटर से अधिक लंबाई) का व्यौरा निम्नानुसार है:-

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	95.430	95.570	बड़ा पुल	0.140
कुल				0.140

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.00 रु. (तीन सौ साठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चलाए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. किसी यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, जो अपने श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुमेय भार से अधिक भारित है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोड वाहन के प्रवेश के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो उक्त नियम के नियम 10 में निर्दिष्ट शुल्क के बराबर होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. शुल्क की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 233.03 करोड़ रु. है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को पूरा किया जाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरओ/सीजी/एनएच-930/शेरपार-कोहका/बिड्स/(ई-191946)]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2026

S.O. 4470(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.874 (E) dated the 05th March, 2014 issued under section 5 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the new National Highway No. 930 as situated within the State of Chhattisgarh to the State Government of Chhattisgarh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rule 2008 and subsequent amendments till date (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at sixty percent of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 46.84 km [Table 2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.40 km (having length of 0.140 Km,[Table-3]) on the type of vehicle specified in column (1) of the Table 1 below for use of two lane with paved shoulder of Sherpar-Kohka section from design kilometer 67.880 to kilometer 114.860 (existing km 67.880 to km 114.860) of National Highway number 930 in the State of Chhattisgarh and authorizes the National Highways Authority of India (NHAI) to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 113.500 of NH-930 Near Kohka village in Mohla-Manpur-Ambagarh-Chowki District of Chhattisgarh	46.84 [Excluding length of structures (>60m)]	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 113.500 of NH-930 Near Kohka village in Mohla-Manpur-Ambagarh-Chowki District of Chhattisgarh	0.140 [^]	1.40	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]Details of structures (above 60m) are as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	95.430	95.570	Major Bridge	0.140
Total				0.140

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 360.000 (Three Hundred and Sixty Rupees) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 233.03 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RO/CG/NH-930/Sherpar-Kohka/Bids/(E-191946)]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.